ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.18, NO.1, JAN-JUNE,2023 /111

# भारतीय मलिन बस्तियों का सामाजिक अध्ययन

*प्रीति भारती एवं **डॉ.योगेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी
*शोधछात्रा– समाजशास्त्र एवं ** शोध पर्यवेक्षक
आचार्य, समाजशास्त्र विभाग का. सु. साकेत पी. जी. कालेज, अयोध्या

**शोध सारांश**

मलिन बस्तियां औद्योगिकरण व नगरीकरण का फलन है, जो कई मानसिक एवं आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है, जैसे– पानी, विद्युत, जल निकासी, स्वच्छ वातावरण, सड़कें आदि सुविधाओं का अभाव होता है। वर्तमान में औद्योगिक केंद्रों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई है एवं उसी के अनुपात में मकानों का निर्माण नहीं हो पाने के कारण वहां अनेक मलिन बस्तियां बन गई, जिन्हें हम आज मलिन बस्ती के नाम से जानते हैं। विश्व के प्रत्येक प्रमुख नगर में नगर के पांचवें भाग से लेकर आधे भाग तक की जनसंख्या मलिन बस्तियों अथवा उसी के समान दशाओं वाले मकानों में रहती हैं। नगरों की कैंसर के समान इस वृद्धि को विद्वानों ने पत्थर का रेगिस्तान (Dessert of stone),व्याधिकी नगर(pathapolis), नरक के संक्षिप्त रूपरेखा (Brief outline of hell) आदि कहकर पुकारा है। मलिन बस्तियों में मकान सीलन युक्त एवं अंधेरे होते हैं, इनमें शौचालय स्नानघर, पानी, बिजली, हवा एवं रोशनी के पर्याप्त सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। निवास की यह अर्ध मानवीय दशा है। यह मानव जाति की शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कमजोर पीढ़ी को जन्म दे रही है।

शब्द संकेत–अर्धमानवीय दशा, औद्योगीकरण, निकृष्ट अवस्था, अनाधिकृत, व्याधिकी नगर, सामाजिक पृथक्करण।

**प्रस्तावना**

मलिन बस्तियों को हम झुग्गी– झोपड़ियों का समूह भी कह सकते हैं। आज भारत के सभी बड़े नगरों व औद्योगिक केंद्रों में मलिन बस्तियां देखी जा सकती हैं। मलिन बस्ती नगर का निम्न निवास वाला क्षेत्र है, जो अव्यवस्थित रूप से विकसित और सामान्यतया जनाधिक्य एवं भीड़–भाड़ से युक्त है। मलिन बस्तियों का रूप अत्यधिक विकृत होता है। आज भारतीय नगरों में मलिन बस्तियां एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है। जैसे–जैसे नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज होती जा रही है, इनका विकास भी तीव्रता से होता जा रहा है उद्योगों के लिए अत्यधिक मनुष्य श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बड़े पैमाने पर इन केंद्रों में मनुष्यों का एकत्रीकरण होता है परंतु नगर विकास की सुविधा सम्मिलित होने के कारण श्रमिक अनधिकृत भूमि पर अस्थाई निवास स्वयं निर्मित कर लेते हैं और इन्हीं की बड़ी संख्या मलिन बस्ती का रूप ले लेती है। मलिन बस्ती की कोई एक परिभाषा नहीं है क्योंकि इसके अनेक प्रकार हैं मलिन बस्ती की परिभाषा करते हुए बर्गल मानते हैं, "मलिन बस्तियां नगर में वे क्षेत्र हैं, जिनमें निम्न स्तर की आवास दशा होती है। एक मलिन बस्ती सदैव एक क्षेत्र होता है। एक अकेला मकान पतन की निकृष्ट अवस्था में होने पर भी एक मलिन बस्ती नहीं कहा जा सकता। "

भारत के कई महानगरों जैसे– मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में उद्योगों का तेजी से विकास होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या इन औद्योगिक नगरों की ओर तेजी से प्रवासित होती है।

प्रवासित जनसंख्या मुख्यतः प्रतिकूल तत्व जैसे गरीबी, बेरोजगारी, कम मजदूरी, छोटी तथा अनार्थिक जोत, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में कमी आदि। अनुकूल तत्व जैसे– रोजगार की सुविधा, ऊंची मजदूरी दर, मजदूरी के निश्चित घंटे, शिक्षा स्वास्थ्य व मनोरंजन आदि के कारण शहरों की ओर केंद्रित होने लगती है। उपरोक्त जनसंख्या वृद्धि गरीबी अपराध एवं समाज में व्याप्त विषमता की झुग्गी झोपड़ियों का मूल कारण है। भोजन, वस्त्र एवं आवास का अभाव ही इन झोपड़पट्टीओं का मूल कारण है। झुग्गी झोपड़िया भारत के हर शहरों में महानगरों के हर कोने में विद्यमान है।
केंद्रीय सरकार द्वारा 1956 में बनाए गए मलिन बस्ती क्षेत्र अधिनियम में मलिन बस्ती को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है," मलिन बस्ती प्रमुख रूप से एक ऐसा निवासियों क्षेत्र है जहां के निवास स्थान नष्ट हो गए हो एवं अत्यधिक भीड़ भाड़ युक्त हो जिसकी डिजाइन त्रुटिपूर्ण हो जहां रोशनदान प्रकाश एवं सफाई का अभाव हो या इनमें से कुछ कारकों के सम्मिलित प्रभाव के कारण सुरक्षा स्वास्थ्य एवं नैतिकता के लिए हानि प्रद हो।
1957 में मलिन बस्तियों पर हुई एक सेमिनार में मलिन बस्तियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है," बेढंग तरीके से बसी हुई अव्यवस्थित रूप से विकसित और सामान्यतः उपेक्षित क्षेत्र जो कि लोगों द्वारा घना बसा हुआ होता है तथा जिसमें बिना मरम्मत एवं उपेक्षित मकानों की भीड़ भाड़ होती है।"
संयुक्त राष्ट्र संघ– मलिन बस्ती एक मकान मकानों का एक समूह क्षेत्र है, जिसकी विशेषता भीड़–भाड़ युक्त पतनोन्मुख अस्वास्थ्य दशा तथा सुविधाओं का अभाव है। इन दशाओं अथवा इन में से किसी एक के कारण इसके निवासियों अथवा समुदाय के स्वास्थसुरक्षा एवं नैतिकता को खतरा उत्पन्न हो जाता है।

मलिन बस्तियों की विशेषताएं

मलिन बस्ती की अवधारणा को अधिक स्पष्ट करने के लिए हम यहां नेल्स एंडरसन द्वारा उल्लेखित विशेषताओं का वर्णन करेंगे–

बनावट– भवन चौगान एवं गलियों की दृष्टि से बनावट अधिक प्राचीन युगों पुरानी और गिरी हुई दिखाई देती है। यह सभी मलिन बस्तियों की सार्वभौमिक विशेषता है।

आर्थिक स्थिति– सामान्यतया मलिन बस्ती में कम आय वाले लोग रहते हैं यद्यपि कुछ ऐसे भवन भी हो सकते हैं जो जीर्ण शीर्ण हैं किंतु उनमें रहने वाले गरीब नहीं है फिर भी मलिन बस्ती एक गरीब क्षेत्र होता है। देसाई व पिल्लई लिखते हैं, "मलिन बस्तियों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सार्वभौमिक विशेषता गरीबी है। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग बाजार द्वारा तय किया हुआ किराया देने में असमर्थ है।"

अत्यधिक भीड़ भाड़ युक्त– मलिन बस्ती के क्षेत्र में मकानों की भीड़–भाड़ अथवा मकानों में लोगों की भीड़–भाड़ होती है और लोग वहां खाली पड़ी जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर लेते हैं।

जनसंख्या– मलिन बस्तियों में कई प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें अन्यत्र कहीं स्थान ना मिला हो या जो दूसरी जगह रहने में असमर्थ होते हैं यहां आकर रहने लगते हैं यदि किसी मलिन बस्ती का संगठन प्रजाति एवं संस्कृति के आधार पर होता है तो इसमें कुछ हद तक सामाजिक संगठन पाया जाता है।

स्वास्थ्य और सफाई– मलिन बस्ती में स्वच्छता और सफाई के सार्वजनिक सेवाओं का अभाव होता है। अनेक कारणों से यहां बीमारी व मृत्यु दर अधिक होती है।

नैतिकता– नैतिकता मलिन बस्ती बाल अपराध एवं बुराई का क्षेत्र होता है, केंद्रीय व सामाजिक रुप से विघटित व्यक्तियों के लिए अधिक सही है।
जीवन विधि– निवासियों के सामाजिक संगठन के आधार पर मलिन बस्तियां अलग–अलग प्रकार की होती हैं। कुछ बस्तियों के निवासी परस्पर अपरिचित होते हैं, कुछ में परिवार जन अथवा परिचित लोग होते हैं। प्रवासियों द्वारा बनाई हुई बस्तियों में दृढ़ सामाजिक संगठन पाया जाता है।

सामाजिक प्रथक्करण – मलिन बस्तियों में वह लोग रहते हैं जिनके सामाजिक प्रतिष्ठा निम्न होती है यहां के अधिकांश निवासी श्रम बाजार में श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। वे अन्य नागरिकों के साथ भी कार्य करते हैं और अपने आप को एक समूह के रूप में पहचानते हैं।

गतिशीलता– मलिन बस्ती सामान्यतः एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें उच्च स्तर की निवासीय गतिशीलता पाई जाती है किंतु परिवार द्वारा ग्रहण की हुई बस्ती में गतिशीलता कम होती है।

मलिन बस्तियों के विकास के कारक
मलिन बस्तियों का निर्माण एवं विकास अनेक कारकों का परिणाम है उनमें से प्रमुख अग्र अंकित है–

औद्योगीकरण एवं नगरीकरण– औद्योगिक एवं नगरीकरण ने मलिन बस्तियों को जन्म दिया। उद्योगों में काम करने के लिए गांव से आने वाले लोगों को निवास के लिए जब कम किराए पर मकान उपलब्ध नहीं हो पाते वे गंदे मकानों में रहने लगते हैं।

ग्रामीण बेकारी– ग्रामों में उद्योगों एवं कृषि के पतन के कारण लोग व्यवसाय की तलाश में नगरों में आने लगते हैं और नगरों में आने पर भी वे अपने ग्रामीण निवास की आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं और ऐसी बस्तियां बनाकर रहने लगते हैं जिन्हें हम ग्रामीण मलिन बस्तियां कहते है।

जनसंख्या में वृद्धि– जनसंख्या वृद्धि जितनी तीव्र गति से हुई। उसी तीव्र गति से मकानों का निर्माण नहीं होने के कारण लोगों के लिए आवास का अभाव पैदा हुआ और लोगों का भीड़–भाड़ युक्त मकानों में रहना अथवा एक ही मकान में कई परिवार मिलकर रहने लगे जिससे मलिन बस्तियां पनपीं।

प्राकृतिक प्रकोप– जब भी प्राकृतिक प्रकोप होता है अर्थात अकाल अतिवृष्टि भूकंप एवं संक्रामक रोग आते हैं तो लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं और वहां जनाधिक्य के कारण मलिन बस्तियां पनपने लगती हैं।

नगरीय आकर्षण– नगरों में मनोरंजन, चिकित्सा, पुलिस, न्यायालय, बिजली, शिक्षा आदि की सुविधाओं के कारण आकर्षित होकर लोग वहां निवास के लिए आते हैं,जिससे मलिन बस्तियां पनपीं।

श्रमिकों की अधिकता– नगरों में श्रमिकों की अधिकता होती है। वह अपने कारखाने एवं काम के स्थान के पास ही रहना चाहते हैं फल स्वरुप वहां मलिन बस्तियां पनपती हैं।

मकानों की कमी– नगरों में मकानों के अभाव के कारण लोगों को मजबूरी में मलिन बस्तियों में रहना पड़ता है। मकानों की मांग की तुलना में पूर्ति कम होने से वहां मकानों के किराए बढ़ जाते हैं एवं जगह छोटी कर दी जाती है।

मलिन बस्तियों का दृष्टिकोण– मलिन बस्तियों के विकास का एक कारण लोगों का निम्न दशा में रहने का दृष्टिकोण भी है। लंबे समय तक मलिन बस्तियों में रहने के बाद लोग इस प्रकार से रहने के आदी हो जाते हैं।

सरकारी प्रयत्नों का अभाव– मलिन बस्तियों के विकसित होने का एक कारण स्वयं सरकार द्वारा श्रमिकों एवं इन बस्तियों में सफाई, सुविधा आदि की उपेक्षा बरतना है।

भारत में मलिन बस्तियों का विकास

आज भारत के नगरों में मलिन बस्तियां एक ज्वलंत समस्या बनी है। जैसे–जैसे नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण की समस्या तेज हुई इनका विकास भी तीव्रता से होता जा रहा है। 2 अक्टूबर 1952 को कानपुर की श्रमिक बस्तियों का निरीक्षण करते हुए स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें "नरक कुंड" की संज्ञा दी थी। मसानी कहते हैं," विश्व की रचना ईश्वर ने की है, नगरों की मानव ने मलिन बस्तियों की शैतानों ने।"

शहर के निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में मलिन बस्तियों का उद्‌भव होता है–

1. नगर के बीच में
2. औद्योगिक क्षेत्रों के समीप
3. नगर सीमा पर

मलिन बस्तियों को भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है–

मुंबई में 140 मलिन बस्तियां पाई जाती हैं, जिनमें शहर की आधी जनसंख्या निवास करती है। मुंबई में इन्हें चाल, कानपुर में अहाते, कोलकाता में बस्ती, चेन्नई में चेरी, दिल्ली में कटरा, खान क्षेत्रों में धोवरा तथा बागान क्षेत्रों में बैरेक्स कहा जाता है।

कानपुर में मलिन बस्तियों को 'अहाता' के नाम से पुकारते हैं। कानपुर के अधिकांश श्रमिक अहातों में रहते हैं। वहाँ कमरे बहुत छोटे छोटे हैं किंतु किराया अधिक है इन अहातों के मकानों में हवा रोशनी, पानी, धूप तथा स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव है और यह घने बसे हुए हैं। एक कमरे में 10 से 15 तक व्यक्ति रहते हैं। कई कमरे तो स्नानघर जितने छोटे हैं उनकी तुलना में तो घोड़े, गाय, भैंस व जानवरों के लिए भी अधिक स्थान होता है। अहातों में गंदे पानी को निकालने के लिए नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही बिजली तथा नल की। कई लोग तो गोदामों की तरह भूमि के नीचे बने मकानों में रहते हैं। इस प्रकार के मकान विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस द्वारा भूमि में बनाए गए गढ्ढों की याद दिलाते हैं।

मलिन बस्तियों में दो प्रकार के घर देखे जाते हैं– एक जो झोपड़ि या घास टीन के टुकड़े, पॉलिथीन, कपड़े आदि से श्रमिक स्वयं बनाते हैं और दूसरा शहर के वे मकान जो पुराने समय में बने थे टूट–फूट गए हैं तथा जिनमें सुधार के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे। जिनमें बड़ी संख्या में गरीब लोग निवास करते हैं।

मद्रास में 311 मलिन बस्तियां हैं, जिनमें 56 शासकीय भूमि पर, 49 नगर निगम भूमि पर, शेष 206 व्यक्तिगत भूमि पर स्थित है। इन मलिन बस्तियों में नगर की 1⁄9 जनसंख्या निवास करती है। दिल्ली में मलिन बस्तियों की संख्या 1956 ई0 में 902 थी, जो कटरा और बस्ती कहलाते थे। अब इनकी संख्या 1157 हो गई है, जिनमें 999 कटरा, 107 घर एवं 51 बस्तियां है।
इंदौर नगर में दो मलिन बस्तियां हैं, भिंडी खो तथा पाटनीपुरा जबकि ग्वालियर में 34 है तथा इन्हें गोठे कहा जाता है, इनमें गेंडे वाली रोड की बस्ती सबसे बड़ी है। उसी प्रकार भारत के हर औद्योगिक शहर में इनका निरंतर विकास होता जा रहा है।

मलिन बस्तियों के दुष्परिणाम
भारत में आवास एवं मलिन बस्तियों की गंभीर समस्या है और यह आधुनिक समाज के लिए चुनौती है आवास की दुर्दशा अनेक आर्थिक सामाजिक व्यक्तिक एवं पारिवारिक दोषों को जन्म देती है और राष्ट्रीय प्रगति को अवरुद्ध करती है। महात्मा गांधी ने इनकी दशा की चर्चा करते हुए कहा था कि ”अपनी आंखों से देखे बिना तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि संसार में मनुष्य के रहने के लिए भी ऐसे स्थान हो सकते हैं ,इन बस्तियों को देखकर खाना–पीना तक अच्छा नहीं लगता, इन्हें देखते ही उल्टी आने लगती है, वहां ऐसी गंदगी भी थी जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है।“
इसी प्रकार आर0के0 मुखर्जी ने कहा है कि औद्योगिक केंद्रों में मलिन बस्तियों की दशा इतनी भयंकर है कि वहां मानवता का विध्वंस होता है स्त्रियों के सतीत्व का नाश होता है और देश के भावी आधार शिशु का गला घोट जाता है। हम यहां आवास सुविधाओं के अभाव एवं मलिन बस्तियों के दुष्परिणामों का उल्लेख करेंगे।

स्वास्थ्य का ह्रास– आवास की दुर्व्यवस्था होने एवं मलिन बस्तियों में रहने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मानव के लिए शुद्ध हवा जल एवं रोशनी अति आवश्यक है। इनके अभाव में कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं और शरीर कमजोर हो जाता है। डॉ0 अमर नारायण अग्रवाल ने अपनी पुस्तक ‘इंडस्ट्रियल हाउसिंग इन इंडिया’ में लिखा है, ”मुंबई के आसपास बनी हुई चालें, अहमदाबाद की भूमि के नीचे बने हुए मकानों की कतारें, कानपुर, लखनऊ और हावड़ा की आंतरिक बस्तियां, जूट मिल के गांव वाले छप्पर, कोयले की खानों के गंदे धावरे तथा चेन्नई के औद्योगिक कस्बों के गंदे छप्पर सभी तपेदिक और दूसरे श्वास रोगों के घर बन गए हैं। मलिन बस्तियों में मृत्यु दर अन्य स्थानों की बजाय अधिक है।
नैतिक पतन और अपराध – गंदे वातावरण में रहने के कारण लोगों की मनोवृति अपराधी बन जाती है और उनका नैतिक पतन हो जाता है। उनमें चोरी, वेश्यावृत्ति, शराब खोरी और जुआ खेलने की आदतें जन्म लेती हैं। डॉ0 राधा कमल मुखर्जी ने अपने अध्ययन में यह बताया है कि मिदनापुर से बंगाल के जूट मिलों में काम करने वाली 300 स्त्रियों में से 100 स्त्रियां अर्थात प्रत्येक तीन में से एक स्त्री वेश्यावृत्ति करती थी। डॉ0 मुखर्जी ने लिखा है,” भारतीय औद्योगिक केंद्रों की इन असंख्य मलिन बस्तियों में मनुष्यता का निःसन्देह ही निर्दयता के साथ गला घोंटा जाता है, नारीत्व का अपमान होता है और शिशुता को प्रारंभ से ही विषपान कराया जाता है।“
श्रमिकों की कुशलता पर प्रभाव –श्रमिकों की कुशलता के लिए आवश्यक है कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो। मकान ऐसे हों जहां शुद्ध हवा व रोशनी हो ताकि वे अपने थकावट दूर कर सकें एवं कार्य करने की क्षमता को पुनः प्राप्त कर सकें, किंतु स्वच्छ एवं पर्याप्त मकानों के अभाव में श्रमिकों की कार्य क्षमता घट जाती है।

सेवायोजकों को हानि– पर्याप्त आवास व्यवस्था के अभाव में श्रमिकों की कार्य क्षमता घट जाती है, उनका स्वास्थ्य गिर जाता है, बीमारी के कारण कारखानों में अनुपस्थिति बढ़ जाती है। आवास संबंधी सुविधा के लिए श्रमिक आंदोलन,तोड़फोड़ एवं हड़ताल करते हैं। इन सभी के परिणाम स्वरूप सेवायोजकों को हानि उठानी पड़ती है।

सांस्कृतिक स्तर में ह्रास –दयनीय आवास व्यवस्था के कारण लोगों के सांस्कृतिक स्तर में गिरावट आ जाती है। वेश्यागमन के कारण लोगों का नैतिक पतन हो जाता है। मुखर्जी ने एक स्थान पर लिखा है," वेश्यागमन की प्रवृत्ति से स्त्री और पुरुष दोनों ही के चरित्र दूषित हो जाते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और राष्ट्र का सांस्कृतिक स्तर गिर जाता है।"

राष्ट्र को हानि– राष्ट्र को हानि आवास की दुर्व्यवस्था के कारण श्रमिकों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है इससे उनकी कार्य क्षमता घट जाती है और औद्योगिक तनाव एवं संघर्ष पैदा होता है।

वैयक्तिक विघटन– आवास की दुर्व्यवस्था व्यक्ति के जीवन को विघटित कर देती है। वह सामान्य जीवन व्यतीत करने लगता है, शराब एवं मादक वस्तुओं का प्रयोग करने लगता है। जुआ खेलने, वेश्यागमन करने एवं अपराधी प्रवृत्तियों में लगे रहने से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर जाती है।

पारिवारिक विघटन –व्यक्तिगत विघटन पारिवारिक विघटन को भी जन्म देता है। व्यक्ति का परिवार के प्रति लगाव समाप्त होने लगता है, परिवार में आसामंजस्य से बढ़ता है और व्यक्ति परिवार की उपेक्षा करने लगता है। नगरों में निवास की उचित व्यवस्था ना होने पर व्यक्ति स्त्री एवं बच्चों को गांव में ही छोड़ आता है।

सामुदायिक विघटन– बिगड़ी हुई आवास व्यवस्था से उत्पन्न वयक्तिक एवं पारिवारिक विघटन, सामाजिक व सामुदायिक विघटन को भी जन्म देता है। व्यक्ति व परिवार की हानि से अंततः समाज और समुदाय को ही हानि होती है

आय में कमी– आवास की बुरी व्यवस्था व्यक्ति की कार्य क्षमता घटाती है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की आय कम हो जाती है और वह गरीबी की स्थिति से छुटकारा पाने में असमर्थ हो जाता है।

निम्न जीवन स्तर– मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों की कार्य क्षमता कम होती है जिसका प्रभाव उनकी आय पर पड़ता है और कम आय होने पर उच्च जीवन स्तर व्यतीत करना संभव नहीं हो पाता यहां तक कि लोग अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को भी जुटाने में असमर्थ होते हैं।

आवास एवं मलिन बस्तियों की समस्या को हल करने के लिए किए गए प्रयास

आवास एवं मलिन बस्तियों की समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार, नगर पालिकाओं एवं बीमा विभाग द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। भारत में दिनों–दिन स्वास्थ्यप्रद आवास की समस्या बढ़ती जा रही है। भारत में आवास एवं मलिन बस्तियों की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए किए गए प्रयास निम्नवत् हैं–

आवास वित्त– केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं जीवन बीमा निगम द्वारा अपने कर्मचारी एवं बीमादारों को भवन निर्माण हेतु कम ब्याज पर धनराशि प्रदान की जाती है। आवास एवं नगर विकास निगम भी वित्त प्रदान करता है। अनुसूचित बैंक भी आवास के लिए धन प्रदान करते हैं।

जहां पहली पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र में कुल निवेश के 34ः के बराबर निवेश किया गया, वही सातवी योजना में यह निवेश मात्र 10ः रह गया आठवीं योजना में केंद्र एवं राज्य सरकारों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में भवन निर्माण हेतु 6,377 को रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय आवास नीति के एक भाग के रूप में सरकार द्वारा निम्नांकित कदम उठाए गए हैं–

1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई यह बैंक गृह ऋण खाता योजना, वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा आवास के लिए पुनर वित्तीय योजनाएं तथा हुडको (हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) के माध्यम से भूमि विकास और वित्तीय कार्यक्रम चल रहा है।

1954 में भारत सरकार ने भवन निर्माण एवं अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की स्थापना की जो आवास संबंधी तकनीकी सलाह देने, इमारती सामान के प्रयोग में सुधार और आवास संबंधी सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर अनुसंधान करने का कार्य करता है इसके अंतर्गत वल्लभ विद्यानगर (आनंद), बैंगलोर, कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली, श्रीनगर और जोधपुर में कई ग्रामीण आवास शाखाएं कार्य कर रही हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के क्षेत्रीय आवास के केंद्र के रूप में कार्य करती है। वर्तमान में संगठन भारत 2001 की जनगणना तथा दूसरे स्रोत जैसे ँब्, छैॅ द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास संबंधी आंकड़ों के प्रकाशन का कार्य भी कर रहा है।

राज्य क्षेत्र की योजनाएं

विभिन्न राज्यों में आवास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बना रखी हैं वे निम्न प्रकार हैं–:

1. समेकित सहायता प्राप्त आवास योजना– यह योजना 1952 में औद्योगिक श्रमिकों एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को मकान बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती हैं। यह सहायता उसे दी जाती है जिसकी मासिक आय ₹500 से अधिक न हो।
2. कम आय वर्ग आवास योजना– 1954 में निम्न वर्ग आवास योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी जिनकी मासिक आय ₹700 से अधिक नहीं हो इस योजना में अधिकतम ऋण राशि ₹14500 तक हो सकती है।
3. मध्यम आय वर्ग योजना– इसका प्रारंभ 1959 में हुआ। यह राज्य सरकारों, केंद्र सरकार अथवा जीवन बीमा निगम द्वारा प्राप्त ऋण द्वारा चलाई जाती है। इस योजना से उन व्यक्तियों को ऋण दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय 7201 से ₹18000 के बीच हो ऋण की अधिकतम राशि ₹27500 तक हो सकती है। इसी प्रकार से बने बनाए मकान खरीदने के लिए भी ऋण प्रदान किए जाते हैं।
4. ग्रामीण आवास योजना– यह योजना 1957 में शुरू हुई। इसके अंतर्गत ग्रामों में मकान बनाने के लिए एक व्यक्ति को ₹5000 तक का ऋण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त गांवों में वातावरण सुधारने तथा गलियों व नालियों के निर्माण के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है।
5. किराया आवास योजना– यह योजना राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए है, जो 1959 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनाकर किराए पर देती हैं।
6. भूमि अधिग्रहण एवं विकास योजना– इसका प्रारंभ 1959 में हुआ। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारें और केंद्र शासित क्षेत्रों में शासन शहरी क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण कर उसका विकास करता है ताकि कम आय वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिए उचित मूल्य पर प्लाट मिल सके।

केंद्रीय क्षेत्रों की योजना केंद्र द्वारा बागान श्रमिकों के आवास के लिए निम्नांकित योजनाऐं चलाई जा रही हैं।

1. बागान श्रमिक आवास योजना– यह योजना 1956 में प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार बागान मालिकों को बागान श्रमिकों हेतु बिना ब्याज लिए 50ः ऋण और 37.5ः अनुदान देती है। यह योजना असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्य में लागू है।

2. शहरी भूमि का समाजीकरण– 17 फरवरी 1976 में शहरी भूमि सीमा तथा नियमन अधिनियम लागू किया गया इसका उद्देश्य सट्टेबाजी को रोकना एवं शहरी भूमि के समाजीकरण की नीति को क्रियान्वित करना है। यह अधिनियम खाली पड़ी भूमि की मिल्कियत की सीमा तय करता है और सीमा से अधिक भूमि को सरकार द्वारा अधिकार में करने का प्रावधान करता है।
3. मलिन बस्तियों के पर्यावरण का सुधार– यह योजना 1972 में प्रारंभ की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मलिन बस्तियों में पीने के पानी, जल, मल निकास, गुसलखाने व शौचालय बनाने, रोशनी के प्रबंध व गलियों को चौड़ा एवं पक्का करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी जाती है।
4. नगर विकास– नगरों में योजनाबद्ध विकास का कार्यक्रम भी चालू है। तीसरी योजना से ही इस पर विशेष ध्यान दिया गया और केंद्र सरकार ने इस कार्य के लिए राज्य सरकारों को तीन करोड़ की राशि प्रदान की थी। 1969 से ही राज्य सरकारें शहरों के लिए मास्टर प्लान में क्षेत्रीय प्लान बना रहे हैं। 1979–80 से छोटे और मंझले दर्जे के शहरों के समन्वित विकास के लिए शुरू की गई। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत 237 नगरों का विकास किया जा चुका है।
5. फुटपाथ पर रहने वालों के लिए कार्य योजना– शहरी विकास मंत्रालय ने महानगरों में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए आवास योजना बनाई है। यह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में लागू की गई है।
6. इंदिरा आवास योजना– 1985–86 में केंद्रीय सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्र में निर्माण हेतु सहायता की सीमा ₹45000 प्रति इकाई, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में ₹48500 प्रति इकाई तथा सभी क्षेत्र में रहने योग्य कच्चे मकान को पक्का बनाने के लिए ₹15000 प्रति इकाई रखी गई है। इस योजना में प्रारंभ से लेकर सितंबर 2011 तक 271 लाख मकानों का निर्माण कराया जा चुका है।
7. स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास योजना– वर्ष 1997 से प्रारंभ इस योजना का मुख्य उद्देश्य नए मकानों के निर्माण, खरीद तथा विद्यमान मकान की मरम्मत, उन्नयन विस्तार के लिए संस्थागत ऋण तक अधिक पहुंच के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय कमी की समस्या को दूर करना है।
8. राष्ट्रीय शहरी आवास और निवास योग्यस्थान के लिए योजना 2007– इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं– निम्न श्रेणी के लिए वहन योग्य आवास का निर्माण, गरीबों को आवास और मूलभूत सुविधाएं, निजी क्षेत्र को मास्टर प्लान के अंतर्गत भूमि एकत्रीकरण की अनुमति, झुग्गी झोपड़ी के पुनरुत्थान में स्वस्थानी हेतु पहल।
9. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन– इस मिशन को वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया और देश के चुने हुए 65 नगरों में लागू किया गया। इसमें शहरी गरीबों के लिए आवास, बुनियादी सेवाएं और उच्च नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मलिन बस्तियों का एकीकृत विकास किया गया।
10. राजीव आवास योजना– इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्यों को 'झुग्गी झोपड़ी' मुक्त बनाना है। यह योजना जून 2009 में प्रारंभ हुई है।
11. भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण आवास– भारत निर्माण का एक घटक ग्रामीण आवास भी है। इसके अंतर्गत मार्च 2008 तक 50.38 लाख ग्रामीण आवास का निर्माण किया जा चुका था।

वर्ष 2008–09 में 21.27 लाख मकानों के निर्माण के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को 8796 करोड़ रुपए जारी किए गए। 2009–10 से 5 वर्ष के लिए दूसरे चरण के लिए 120 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य है।

12. आवासीय एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको)– हुडको ने 1970 से ही आवासीय और शहरी विकास के वित्तीय क्षेत्र में सतत और उल्लेखनीय कार्य किए हैं। हुडको ने मार्च 2010 तक 106754 करोड रुपए की परियोजना वाली 16251 योजनाएं स्वीकृत की। हुडको की सहायता से 145.04 लाख रिहायशी इकाइयों के निर्माण में सहायता मिली है।
13. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ– इसकी स्थापना सन 1969 में हुई थी। जो भारत में पूरे सहकारी आवास आंदोलन का राष्ट्रीय शीर्ष संगठन है। सभी राज्यों में राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास परिसंघ एन0 सी0 एच0 एस0 के सदस्य हैं। लगभग 30000 प्राथमिक आवास सहकारी समितियां अपने सदस्यों के लिए घरों के निर्माण के लिए ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए शीर्ष पर इस परीसंघ से संबंध हैं।
14. वाल्मिकी अंबेडकर आवास योजना (VAMBAY)- दिसंबर 2001 में शुरू की गई इस योजना का मूल उद्देश्य शहरों की मलिन बस्तियों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवासीय यूनिटों का निर्माण और उन्नयन करना तथा इस योजना के एक घटक 'निर्मल भारत अभियान' के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ तथा शहरी पर्यावरण को बेहतर बनाना है।
15. झुग्गी बस्तियों के विकास का राष्ट्रीय कार्यक्रम– यह कार्यक्रम 1996 में कानपुर में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी झुग्गी झोपड़ी, बस्तियों के विकास के लिए राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त सहायता दी जाती है। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्याप्त और संतोषजनक जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं, प्रौढ़ शिक्षा आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

**मलिन बस्तियों के सुधार हेतु सुझाव**

**मलिन बस्ती सुधार के लिए निम्नांकित सुझाव दिए जा सकते हैं–**

1. मकान निर्माण के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि की जाए, किस्तों में रियायत की जाए, ब्याज की दर घटाई जाए और इस कार्यक्रम का विस्तार किया जाए।
2. श्रमिकों का निवास स्थान औद्योगिक केंद्र से दूर होने पर उनके लिए निवास से काम की स्थान तक यातायात की सुविधा का प्रबंध किया जाए।
3. श्रमिकों को दिए गए भवन निर्माण हेतु ऋण का भुगतान उनके वेतन में से काटने की व्यवस्था की जाए।
4. केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों को आवास संबंधी दी जाने वाली सुविधाएं श्रमिकों के लिए भी लागू की जाएं। जो सेवायोजक श्रमिकों के लिए भवन बनाना चाहे, उन्हें भूमि एवं ऋण की सुविधा दी जाए।
5. नगरीय क्षेत्रों में आवास समस्या और विशेषता मलिन बस्तियों की समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि बड़ी योजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जाए।
6. धन प्राप्त करने के लिए बांड जारी किए जाने चाहिए।
7. नगर के बाहरी क्षेत्रों से नगर में यातायात सुविधा सस्ती और सुगम बनाने से भी नगर का फैलाव तेज गति से होगा। इससे मलिन बस्तियों नगर के बीचो बीच विकसित नहीं होंगी।

- राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी इस संदर्भ में कुछ सुझाव दिए हैं–
1. औद्योगिक नगरों में सरकार स्वयं आवास की व्यवस्था करें।
2. प्रत्येक राज्य में आवास बोर्ड गठित किए जाएं।
3. भवन निर्माण करने वाली सहकारी समितियों का गठन किया जाए।
4. भूमिहीन मजदूरों को घर के वास्तविक स्वामित्व का अधिकार दिया जाए।
5. ग्रामीण मजदूरों एवं अन्य व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाएं चलती रहनी चाहिए।

## संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गुप्ता एम0एल0 एवं शर्मा डॉ0 डी0डी0 (2013) ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृष्ठ संख्या– 252
2. डॉ0 अग्रवाल गोपाल कृष्ण (जनवरी 2018) भारत में ग्रामीण एवं नगरीय समाज, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृष्ठ संख्या– 233
3. डॉ0 तबस्सुम हिना (जनवरी 2014) Slums in India-
4. https//en.wikipedia.org
5. National Health Mission (M.P.)
6. https//www.nhmmp.gov.in